

# भारत स्काउट और गाइड, उत्तर प्रदेश



**-: सर्वोत्तम जनपद पुरस्कार योजना 2024-25:-**

**प्रादेशिक मुख्यालय : गोल मार्केट, महानगर, लखनऊ**

**E mail : [upscoutsguides@yahoo.com](mailto:upscoutsguides@yahoo.com)**

**Contact No. 0522-4323838**

**Website : [www.bsgup.org](http://www.bsgup.org)**



फोन : 0522-4323838  
9839392275

# भारत स्काउट और गाइड, उ० प्र०

प्रादेशिक प्रधान कार्यालय : स्काउट भवन, गोल मार्केट, मद्रास नगर, लखनऊ - 226006

E-mail : upscoutsguides@yahoo.com, Website : www.bsgup.org

रजिस्ट्रेशन संख्या एन० 1-9407/1959-1960

मुख्य संरक्षक

माननीय श्री राज्यपाल

उ० प्र०

उप मुख्य संरक्षक

माननीय मुख्यमंत्री

उ० प्र०

अध्यक्ष

डा० महेन्द्र सिंह

माननीय मन्त्री "जल शक्ति"

उ० प्र०

मुख्यायुक्त

डा० प्रभात कुमार

आर०ए०एम०(से०नि०)

पूर्व अध्यक्ष, लोक सेवा आयोग, उ० प्र०

पत्रांक संख्या - ...संग० - 60...../ 2534...../2024-25.

दिनांक 25/02/2025.

सेवा में,  
समस्त जिलाधिकारी  
उत्तर-प्रदेश।

**विषय:- सर्वोत्तम जनपद पुरस्कार योजना वर्ष 2024-25 हेतु आवेदन के सम्बन्ध में।**

महोदय/महोदया,

विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी भारत स्काउट और गाइड, उत्तर-प्रदेश के अर्न्तगत सर्वोत्तम जनपद पुरस्कार योजना को जारी रखने का निर्णय लिया गया है। भारत स्काउट और गाइड जनपद संस्था के अध्यक्ष होने के कारण जिलाधिकारी के लिए पृथक से पुरस्कार निर्धारित किए गए हैं।

योजना की विस्तृत निर्देशिका तथा आवेदन का प्रारूप इस अनुरोध के साथ प्रेषित है, कि कृपया इस संबन्ध में जनपद के पदाधिकारियों को योजना में दी गई गाइड लाइंस के अनुसार प्राथमिकता निर्धारित करते हुए समुचित कार्रवाई करने हेतु निर्देश देने का कष्ट करें।

उल्लेखनीय है, की योजना में मूल्यांकन 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 की उपलब्धियों के आधार पर किया जायेगा। योजना में आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 जून 2025 होगी।

भवदीय,

**संलग्नक:- उक्तवत्**

(डा० प्रभात कुमार)  
प्रादेशिक मुख्यायुक्त

**प्रतिलिपि :-** समस्त जिला मुख्यायुक्त, भारत स्काउट और गाइड, उ० प्र०।

(डा० प्रभात कुमार)  
प्रादेशिक मुख्यायुक्त

## सर्वोत्तम जनपद पुरस्कार योजना- नियमावली

**प्रस्तावना:**—प्रदेश स्तर पर सर्वोत्तम जनपद पुरस्कार योजना विगत वर्षों से प्रचलित है जिसमें सभी राजस्व जनपदों को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है:—श्रेणी "ए" में 35 जनपद तथा श्रेणी बी में 40 जनपद रखे गये हैं (सूची संलग्न है)।

**उद्देश्य:**योजना के निम्नलिखित मुख्य उद्देश्य हैं :-

1. जनपदों द्वारा स्काउट/गाइड के क्षेत्र में किये जाने वाले कार्यों के प्रोत्साहन देना।
2. युवा वर्ग में स्काउट/गाइड के सिद्धान्तों के प्रति रुचि उत्पन्न करते हुए जनपद स्तर पर बढ़ावा देना।
3. जनपद स्तर पर स्काउट/गाइड से जुड़े पदाधिकारियों को प्रोत्साहित करना।

**नियमावली व आवश्यक निर्देश निम्नवत् है:-**

1. 01 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक किए गए कार्यों की आख्या जनपद द्वारा 30 जून 2025 तक सर्वोत्तम जनपद योजना हेतु मुख्यालय को निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराई जायेगी।
2. चयनित जनपद एवं जनपद के पदाधिकारियों को वर्ष 2025 में प्रादेशिक परिषद/स्थापना दिवस/ अन्य विशिष्ट अवसर के अवसर पर पुरस्कृत/सम्मानित किया जायेगा।
3. सर्वोत्तम जनपद योजना में जनपदों का पृथक-पृथक मूल्यांकन उनकी श्रेणी में किया जायेगा।
4. सर्वोत्तम जनपद पुरस्कार की धनराशि में से 50 प्रतिशत धनराशि जिला संस्था को एवं अवशेष 50 प्रतिशत धनराशि जिला मुख्यायुक्त, जिला कमिश्नर (स्काउट/गाइड), जिला सचिव, जिला संगठन कमिश्नर (स्काउट/गाइड) एवं, जिला प्रशिक्षण कमिश्नर (स्काउट/गाइड) को जिलाधिकारी (जिला अध्यक्ष) द्वारा कार्य के मूल्यांकन के आधार पर प्रदान की जायेगी। योजना में पुरस्कृत जनपदों के जिलाधिकारियों को पुरस्कार धनराशि देकर सम्मानित किया जायेगा।

**पुरस्कार धनराशि का विवरण :-**

**"ए"श्रेणी**

पुरस्कार	पुरस्कार धनराशि		
	जनपद	जिलाधिकारी	संबंधित ए0एस0ओ0सी0
प्रथम	1,00,000	25,000	10,000
द्वितीय	75,000	20,000	7,000
तृतीय	50,000	15,000	5,000

**"बी" श्रेणी**

पुरस्कार	पुरस्कार धनराशि		
	जनपद	जिलाधिकारी	संबंधित ए0एस0ओ0सी0
प्रथम	80,000	20,000	8,000
द्वितीय	60,000	15,000	5,000
तृतीय	40,000	10,000	3,000

**नोट— (i)** यदि एक ही मण्डल क्षेत्र से एक से ज्यादा जनपद पुरस्कार के मानक में आते हैं तो भी मण्डल के ए0एस0ओ0सी0 को एक ही पुरस्कार दिया जाएगा।

5-प्रदेश स्तर पर सर्वोत्तम जनपद पुरस्कार योजना में प्रतिभागिता हेतु जनपदों का चयन एक समिति के माध्यम से किया जायेगा जिसका गठन प्रादेशिक मुख्यायुक्त द्वारा किया जायेगा।

6-चयन करने का आधार एवं स्वमूल्यांकन प्रक्रिया :- प्रत्येक जनपद का निम्नांकित 17 बिन्दुओं पर मूल्यांकन किया जायेगा तथा योजना के अनुरूप कुल 100 अंकों में से प्राप्त कुल अंकों के आधार पर प्रथम तीन जनपदों का चयन दोनों श्रेणियों में पृथक - पृथक किया जायेगा ।

क्रम	बिन्दु	अंक
1	नवीन पंजीकृत दल (अनुदानित बेसिक विद्यालयों के दलों को छोड़कर)	10
2	नवीनीकृत दल (अनुदानित बेसिक विद्यालयों के दलों को छोड़कर)	10
3	10 प्रतिशत स्काउट/गाइड अंशदान	05
4	अन्य देयों की वसूली की स्थिति	05
5	बी0एड0/डी0एल0एड0 महाविद्यालयों में प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन	10
6	वयस्क प्रशिक्षण बिगनर्स कोर्स, बेसिक/एडवांस कोर्स, विशेषज्ञता कोर्स	10
7	एच0डब्लू0बी0/प्री0ए0एल0टी0/ए0एल0टी0 तैयार करने पर	08
8	बेवसाइट अपडेशन/ और ओ0वाई0.एम0एस0 अपडेशन (नये पंजीकृत दलों के)	05
9	राज्य पुरस्कार प्राप्त स्काउट/गाइड/रावर/रेंजर/ गोल्डन एरो एवार्ड की संख्या	05
10	तृतीय सोपान/ निपुण में प्रतिभागिता	05
11	एडवेंचर कार्यक्रमों तथा अन्य प्रादेशिक कार्यक्रमों में प्रतिभागिता	05
12	राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों में प्रतिभागिता	04
13	बी0एस0जी0 प्रतियोगिता में प्रतिभागिता	05
14	सर्वोत्तम कैडेट रैली	03
15	जिला संस्था का वित्तीय प्रशासन तथा सम्परीक्षण	05
16	जिला संगठन (परिषद, कार्यकारिणी, विभिन्न विभागों के पदाधिकारी (नियुक्त एवं बैठक)	03
17	तेजल पत्रिका में जनपद की गतिविधियों का प्रकाशन	02
	कुल अंक	100

**मूल्यांकन प्रक्रिया:-**मूल्यांकन प्रक्रिया निम्नवत् होगी:-

**बिन्दु-1-नवीन पंजीकृत दल (अनुदानित बेसिक दलों को छोड़कर)-** प्रादेशिक मुख्यालय द्वारा निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष माध्यमिक/शासकीय/अशासकीय माध्यमिक विद्यालय/राजकीय विद्यालय आदि में वित्तीय वर्ष 2024-25 में पंजीकृत कराए गये मुख्यालय द्वारा दिए गये संलग्न लक्ष्य के आधार पर नए दलों की संख्या पर कुल 10 अंकों का निर्धारण निम्न प्रकार होगा :-

**(अ)जनपद द्वारा माध्यमिक/शासकीय/अशासकीय माध्यमिक विद्यालय/राजकीय विद्यालय आदि में प्रस्तुत पंजीकृत नवीन दलों के विवरण पर कुल 05 अंक का निर्धारण निम्न प्रकार होगा :-**

100 प्रतिशत पंजीकृत दल होने पर	-05 अंक
90 प्रतिशत पंजीकृत दल होने पर	-4 1/2अंक
80 प्रतिशत पंजीकृत दल होने पर	-04 अंक

70 प्रतिशत पंजीकृत दल होने पर	—03 1/2अंक
60 प्रतिशत पंजीकृत दल होने पर	—03 अंक
50 प्रतिशत पंजीकृत दल होने पर	—02 1/2अंक
40 प्रतिशत पंजीकृत दल होने पर	—02 अंक
40 प्रतिशत से कम पंजीकृत दल होने पर	—0 अंक

**(ब)सी0बी0एस0ई0 विद्यालयों में जनपदवार विद्यालयों की संख्या के सापेक्ष युनिट पंजीकृत कराये जाने पर कुल 05 अंको का निर्धारण निम्न प्रकार होगा (प्रत्येक जनपद का लक्ष्य है वहां स्थित सी0बी0एस0ई0 विद्यालयों की संख्या के बराबर होगा जो किसी भी दशा में 20 दलो से कम नहीं होगा) :-**

100 प्रतिशत पंजीकृत दल होने पर	—05 अंक
90 प्रतिशत पंजीकृत दल होने पर	—04 1/2 अंक
80 प्रतिशत पंजीकृत दल होने पर	—04 अंक
70 प्रतिशत पंजीकृत दल होने पर	—03 1/2 अंक
60 प्रतिशत पंजीकृत दल होने पर	—03 अंक
50 प्रतिशत पंजीकृत दल होने पर	—02 1/2 अंक
40 प्रतिशत पंजीकृत दल होने पर	—02 अंक
40 प्रतिशत से कम पंजीकृत दल होने पर	—0 अंक

**बिन्दु-2 —नवीनीकृत दल (अनुदानित बेसिक दलों को छोड़कर)—** प्रादेशिक मुख्यालय द्वारा जनपद में पंजीकृत दलो के सापेक्ष जनपद द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में नवीनीकरण कराने पर कुल 10 अंकों का निर्धारण इस प्रकार होगा :- (NON-CBSE एवं CBSE विद्यालय को मिलाकर)

**जनपद द्वारा पंजीकृत दलों के सापेक्ष नवीनीकरण कराने पर अंक का निर्धारण:—(मूल्यांकन हेतु ए श्रेणी में कम से कम 100 दलों का तथा बी श्रेणी में कम से कम 60 दलों का नवीनीकरण होना अनिवार्य है)**

100 प्रतिशत पंजीकृत दल नवीनीकृत होने पर	—10 अंक
90 प्रतिशत पंजीकृत दल नवीनीकृत होने पर	—09 अंक
80 प्रतिशत पंजीकृत दल नवीनीकृत होने पर	—08 अंक
70 प्रतिशत पंजीकृत दल नवीनीकृत होने पर	—07 अंक
60 प्रतिशत पंजीकृत दल नवीनीकृत होने पर	—06 अंक
50 प्रतिशत पंजीकृत दल नवीनीकृत होने पर	—05 अंक
40 प्रतिशत पंजीकृत दल नवीनीकृत होने पर	—04 अंक
40 प्रतिशत से कम पंजीकृत दल नवीनीकृत होने पर	—शून्य अंक

**बिन्दु-3—10 प्रतिशत स्काउट/गाइड अंशदान—**वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रादेशिक मुख्यालय द्वारा जनपदों को 10 प्रतिशत अंशदान में दिये गये लक्ष्य के अनुक्रम में मुख्यालय को प्राप्त धनराशि के आधार पर कुल 05 अंको का निर्धारण इस प्रकार होगा :-

100 प्रतिशत अंशदान राशि जमा होने पर	—05 अंक
90 प्रतिशत अंशदान राशि जमा होने पर	—04 1/2 अंक
80 प्रतिशत अंशदान राशि जमा होने पर	—04 अंक
70 प्रतिशत अंशदान राशि जमा होने पर	—03 1/2 अंक
60 प्रतिशत अंशदान राशि जमा होने पर	—03 अंक
50 प्रतिशत अंशदान राशि जमा होने पर	—02 1/2अंक
40 प्रतिशत अंशदान राशि जमा होने पर	—02 अंक
30 प्रतिशत अंशदान राशि जमा होने पर	—01 1/2 अंक
20 प्रतिशत अंशदान राशि जमा होने पर	—01 अंक
20 प्रतिशत अंशदान राशि से कम जमा होने पर	—0 अंक

**बिन्दु-04— अन्य देयों के वसूली की स्थिति :-**प्रादेशिक मुख्यालय द्वारा जिला संस्थाओं को प्रादेशिक मुख्यालय के नवीनीकरण/सम्बद्धता शुल्क/अंशदान के अवशेषों की सूचना प्रेषित की गई है।

जिला संस्था द्वारा अवशेषों के सम्बन्ध में प्रादेशिक मुख्यालय को धनराशि प्रेषित किये जाने पर कुल 05 अंकों का निर्धारण इस प्रकार होगा:-

100 प्रतिशत अवशेष धनराशि जमा करने पर	- 05 अंक
90 प्रतिशत अवशेष धनराशि जमा करने पर	- 04 1/2 अंक
80 प्रतिशत अवशेष धनराशि जमा करने पर	- 04 अंक
70 प्रतिशत अवशेष धनराशि जमा करने पर	- 03 1/2 अंक
60 प्रतिशत अवशेष धनराशि जमा करने पर	- 03 अंक
50 प्रतिशत अवशेष धनराशि जमा करने पर	- 02 1/2 अंक
40 प्रतिशत अवशेष धनराशि जमा करने पर	- 02 अंक
30 प्रतिशत अवशेष धनराशि जमा करने पर	- 01 1/2 अंक
20 प्रतिशत अवशेष धनराशि जमा करने पर	- 01 अंक
20 प्रतिशत से कम अवशेष धनराशि जमा करने पर	- 0 अंक

**बिन्दु-05 –बी0एड0 तथा डी0एल0एड0 शिविर आयोजित करने पर :-** प्रत्येक जनपद का कैम्प के लक्ष्य जनपद में कुल महाविद्यालय/ संस्थानों की संख्या के बराबर होगा तथा वर्ष के प्रारम्भ में निर्धारित किया जाएगा। (कम से कम 200 प्रतिभागी होना अनिवार्य है)

100 प्रतिशत प्रशिक्षण कराए जाने पर	- 10 अंक
90 प्रतिशत प्रशिक्षण कराए जाने पर	- 09 अंक
80 प्रतिशत प्रशिक्षण कराए जाने पर	- 08 अंक
70 प्रतिशत प्रशिक्षण कराए जाने पर	- 07 अंक
60 प्रतिशत प्रशिक्षण कराए जाने पर	- 06 अंक
50 प्रतिशत प्रशिक्षण कराए जाने पर	- 05 अंक
40 प्रतिशत प्रशिक्षण कराए जाने पर	- 04 अंक
40 प्रतिशत से कम होने पर	- शून्य अंक

**बिन्दु-06-वयस्क प्रशिक्षण बिगनर्स कोर्स, बेसिक/एडवांस कोर्स, विशेषज्ञता कोर्स-प्रशिक्षण कार्यक्रमों में वित्तीय वर्ष 2024-25 में जनपद द्वारा निम्नवत् प्रशिक्षण शिविरों में प्रतिभागिता के आधार पर कुल 10 अंकों का निर्धारण इस प्रकार होगा :-**

**(ए)-बिगनर्स कोर्स-**

जनपद स्तर पर बिगनर्स कोर्स के आयोजन में 100% की प्रतिभागिता होने पर (जो कम से कम 300 प्रतिभागी हो)	- 2 अंक
जनपद स्तर पर बिगनर्स कोर्स के आयोजन में 50% की प्रतिभागिता होने पर (कम से कम 300 प्रतिभागी का 50%)	- 1 अंक

**(बी)-बेसिक कोर्स-**

जनपद स्तर पर सभी विंग में बेसिक कोर्स के आयोजन करने पर निम्नवत् संख्या में यूनिट लीडर की प्रतिभागिता पर कुल 3 अंकों का निर्धारण निम्नवत् है:-

प्रतिभागी कब मास्टर सं0- 30 होने पर	-1/2 अंक
प्रतिभागी फ्लाक लीडर सं0- 30 होने पर	-1/2 अंक
प्रतिभागी स्काउट मास्टर सं0- 40 होने पर	-1/2 अंक
प्रतिभागी गाइड कैप्टन सं0- 40 होने पर	-1/2 अंक
प्रतिभागी रोवर लीडर सं0- 30 होने पर	-1/2 अंक
प्रतिभागी रेंजर लीडर सं0- 30 होने पर	-1/2 अंक

**(सी)-एडवान्स कोर्स -**

जनपद स्तर पर सभी विंग में एडवान्स कोर्स के आयोजन करने पर निम्नवत् संख्या में यूनिट लीडर की प्रतिभागिता पर कुल 3 अंकों का निर्धारण निम्नवत् है:-

प्रतिभागी कब मास्टर सं०- 15 होने पर	-1/2 अंक
प्रतिभागी फ्लाक लीडर सं०- 15 होने पर	-1/2 अंक
प्रतिभागी स्काउट मास्टर सं०- 20 होने पर	-1/2 अंक
प्रतिभागी गाइड कैप्टन सं०- 20 होने पर	-1/2 अंक
प्रतिभागी रोवर लीडर सं०- 15 होने पर	-1/2 अंक
प्रतिभागी रेंजर लीडर सं०- 15 होने पर	-1/2 अंक

**(डी)-विशेषज्ञता कोर्स-**जनपद स्तर पर स्कीम आफ ट्रेनिंग के आधार पर निर्धारित 4 विषयो से संबंधित कोर्स आयोजन मे प्रति कोर्स 15 या अधिक की संख्या या कुल चारों कोर्स में 60 की संख्या में प्रतिभागिता होने पर कुल 2 अंकों का निर्धारण इस प्रकार होगा :-

प्रत्येक बिषय से संबंधित कोर्स प्रतिभागी सं०- 15 या अधिक होने पर	-1/2 अंक
प्रत्येक बिषय से संबंधित कोर्स प्रतिभागी सं०- 15 या अधिक होने पर	-1/2 अंक
प्रत्येक बिषय से संबंधित कोर्स प्रतिभागी सं०- 15 या अधिक होने पर	-1/2 अंक
प्रत्येक बिषय से संबंधित कोर्स प्रतिभागी सं०- या अधिक होने पर	-1/2 अंक
अथवा चारो कोर्सों में 60 की संख्या होने पर	-02 अंक

**बिन्दु-07-एच0डब्लू0बी0 / प्री0ए0एल0टी0 / ए0एल0टी0 / एल0टी0 तैयार करने पर-**जनपद स्तर पर 1:2 (एक अनुपात दो) के अनुपात में यूनिट लीडर तैयार करने पर अर्थात् एक हिमालय वुडबैज तैयार होने पर सम्बन्धित को 1 प्री0ए0एल0टी0 और 1 ए0एल0टी0 तैयार होने पर सम्बन्धित ट्रेनर को क्रमशः 2 हिमालय वुडबैज और 2 प्री0ए0एल0टी0 तैयार करने की स्थिति में कुल 8 अंको का निर्धारण इस प्रकार होगा :-

	बड़े जनपद	छोटे जनपद	अंक
हिमालय वुडबैज	16	08	3.0
प्री0ए0एल0टी0	08	04	2.0
ए0एल0टी0	04	02	1.5
एल0 टी0	02	01	1.5

**बिन्दु-08-वेबसाइट अपडेशन और ओ0वाई0एम0एस0 अपडेशन/(नये पंजीकृत दलों के) यू0आई0डी0 अपडेशन-** वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रादेशिक मुख्यालय द्वारा जिला संस्थाओं को वेबसाइट अपडेशन और ओ0वाई0एम0एस0 अपडेशन के सुचारु रूप से जनपदों में संचालित किये जाने हेतु निर्देश प्रेषित किये गये है। उसी क्रम में कुल 05 अंकों में से अनुपालन की स्थिति में अंको का निर्धारण निम्नवत् होगा:-

- (I) OYMS के अनुसार जनपदों द्वारा दलों का आनलाइन कराना - 02 अंक (इनका मूल्यांकन निम्न प्रकार होगा)  
 ओ0वाई0एम0एस0 के अनुसार जनपदों द्वारा (नये) दलों को 100 प्रतिशत आनलाइन कराये जाने पर- **-02अंक**  
 ओ0वाई0एम0एस0 के अनुसार जनपदों द्वारा दलों को 50 प्रतिशत आनलाइन कराये जाने पर **-01 अंक**  
 ओ0वाई0एम0एस0 के अनुसार जनपदों द्वारा दलों को 50 प्रतिशत से कम आनलाइन कराये जाने पर- **-0 अंक**
- (II) जनपद स्तर पर वेबसाइट लागू कराये जाने पर (मुख्यालय के वेबपेंज पर) तथा उसके अपडेशन पर **-02 अंक**
- (III) जनपद स्तर पर बी0एस0जी0 यू0पी0 सॉफ्टवेयर पर कार्य करने पर **- 01 अंक**

**बिन्दु-09—राज्य पुरस्कार प्राप्त स्काउट/गाइड/रोवर/रेंजर की गोल्डन ऐरो एवार्ड की संख्या —वित्तीय वर्ष में जनपद द्वारा राज्य पुरस्कार (स्काउट/गाइड)/(रोवर/रेंजर)/गोल्डन ऐरो एवार्ड(कब-बुलबुल) तैयार कराये जाने पर प्रतिभागिता एवं संख्या के आधार पर कुल 5 अंको का निर्धारण इस प्रकार होगा :-**

	बड़े जनपद	छोटे जनपद	अंक
राज्य पुरस्कार स्काउट तैयार करने पर (संख्या)	50	30	— 01 अंक
राज्य पुरस्कार गाइड तैयार करने पर (संख्या)	50	30	— 01 अंक
राज्य पुरस्कार रोवर तैयार करने पर (संख्या)	30	15	— 01 अंक
राज्य पुरस्कार रेंजर तैयार करने पर (संख्या)	30	15	— 01 अंक
गोल्डन ऐरो एवार्ड की तैयार करने पर (संख्या)	10	05	— 01 अंक

**बिन्दु-10— तृतीय सोपान/ निपुण में प्रतिभागिता —**

वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रदेश स्काउट-गाइड के तृतीय सोपान एवं रोवर-रेंजर का प्रशिक्षण कराये जाने पर संख्या के आधार पर कुल 5 अंको का निर्धारण इस प्रकार होगा :-

तीतृय सोपान दिये गये लक्ष्य के अनुसार 100% पर	— 3 अंक
तीतृय सोपान दिये गये लक्ष्य के अनुसार 50% पर	— 1 अंक
निपुण में दिये गये लक्ष्य के अनुसार 100% पर	— 2 अंक
निपुण में दिये गये लक्ष्य के अनुसार 50% पर	— 1 अंक

**बिन्दु-11—एडवेन्चर कार्यक्रमों तथा अन्य प्रादेशिक कार्यक्रमों में प्रतिभागिता :-**वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रादेशिक प्रशिक्षण केन्द्र शीतलाखेत एवं प्रादेशिक प्रशिक्षण प्रयागराज के कार्यक्रमों में प्रतिभागिता कराये जाने पर कुल 5 अंको का निर्धारण इस प्रकार होगा :-

(ए)—प्रादेशिक प्रशिक्षण केन्द्र शीतलाखेत में आयोजित एडवेन्चर तथा अन्य कार्यक्रम	—03 अंक
(बी)—प्रादेशिक प्रशिक्षण केन्द्र प्रयागराज में आयोजित एडवेन्चर तथा अन्य कार्यक्रम	—02 अंक

**बिन्दु-12—राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम में प्रतिभागिता :- 04 अंक**

**बिन्दु-13—बी0एस0जी0 ज्ञान प्रतियोगिता में प्रतिभागिता:-** प्रतियोगिता हेतु पंजीकरण कराये जाने पर कुल 05 अंको का निर्धारण निम्न प्रकार होगा —

1—मुख्यालय द्वारा दिये गये लक्ष्य के बराबर या अधिक पंजीकरण कराये जाने पर	— 02 अंक
2—समयानुसार परिक्षा कराए जाने पर	— 01 अंक
3—समयानुसार जनपद के प्रत्येक श्रेणी में पृथक-पृथक तीन प्रतिभागियों की सूची उपलब्ध कराने पर	— 01 अंक
4—समयानुसार धनराशि मुख्यालय में जमा कराने पर	— 01 अंक

**बिन्दु-14 —सर्वोत्तम कैडेट रैली —** प्रतियोगिता हेतु पंजीकरण कराये जाने पर कुल 03 अंको का निर्धारण निम्न प्रकार होगा

1—मुख्यालय द्वारा दिये गये लक्ष्य के बराबर या अधिक पंजीकरण कराये जाने पर	— 01 अंक
2—समयानुसार चयन प्रतियोगिता करने पर	— 01 अंक
3—समयानुसार जनपद के प्रत्येक श्रेणी में पृथक-पृथक दो प्रतिभागियों की सूची उपलब्ध कराने पर	— 01 अंक

**बिन्दु-15—जिला संस्था का वित्तीय प्रशासन एवं सम्परीक्षण—**प्रादेशिक मुख्यालय द्वारा जिला संस्था को वित्तीय प्रशासन के दिशा निर्देश प्रादेशिक मुख्यालय के पत्र सं0 सी0जी0-94/2020-21 दिनांक 24.09.2020 द्वारा प्रेषित किये गये है। जारी निर्देशों के अनुक्रम में जिला संस्था द्वारा वित्तीय प्रशासन की व्यवस्था के अनुपालन पर कुल 05 अंको का निर्धारण इस प्रकार होगा :-

ए—जिला संस्था द्वारा नियमित आडिट कराने तथा वित्तीय वर्ष की प्रादेशिक मुख्यालय को आडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर	— 02 अंक
बी—जिला संस्था के खाते का नियमानुसार संचालन कराये जाने पर	— 01 अंक
सी—वित्तीय अभिलेखों का नियमानुसार (कैश बुक, लेजर, रसीद बुक, गार्ड फाईल) रख रखाव किये	



**बिन्दु-16-जिला संगठन (परिषद, कार्यकारिणी, विभिन्न अधिकारियों की नियुक्ति एवं बैठके)** -जिला संस्था द्वारा जिला कार्यकारिणी एवं जिला काउन्सिल के सभी पदों पर नियमानुसार नियुक्ति कराये जाने पर जिला संस्था के कार्यालय व अभिलेखों को व्यवस्थित किये जाने पर कुल 03 अंको का निर्धारण इस प्रकार होगा :-

- ए-जिला कार्यकारिणी / जिला काउन्सिल के सभी पदों पर नियुक्ति होने पर - 01 अंक  
 बी-जिला संस्था के अभिलेखों का नियमानुसार रखरखाव होने पर - 01 अंक  
 (स्टोक रजिस्टर, प्रशिक्षण पंजिका, कार्यव्रत पंजिका)  
 सी- परिषद एवं कार्यकारिणी तथा अन्य समितियों की समयांतर्गत बैठक - 01 अंक

**बिन्दु-17- तेजल पत्रिका में जनपद की गतिविधियों का प्रकाशन** - मूल्यांकन निम्नवत आधार पर किया जायेगा-

- (1) वर्ष भर के सभी चारो अंको मे जिले की गतिविधियों का प्रकाशन - 02 अंक  
 (2) दो से तीन अंको में जिले की गतिविधियों का प्रकाशन - 11/2 अंक  
 (3) दो अंको मे जिले की गतिविधियों का प्रकाशन - 1 अंक  
 (4) दो से कम अंको में गतिविधियों का प्रकाशन - 0 अंक

**नोट-** निर्धारित आवेदन प्रपत्र मे दिए गए आंकडो / कथन के समर्थन में अभिलेखीय साक्ष्य लगाना अनिवार्य होगा। इसके अभाव मे आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

**आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 जून 2025 है :-**

**स्मरणीय बिन्दु निम्नवत है:-**

1-योजना के अन्तर्गत क्वालीफाई करने एवं अर्ह होने के लिए 100 अंको में से कम से कम 50 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। 50 अंक से कम अंक प्राप्त करने पर जनपद पुरस्कार प्राप्त करने हेतु अर्ह नहीं होगा।

2-सर्वोत्तम जनपद पुरस्कार योजना में समस्त अधिकार प्रादेशिक मुख्यायुक्त में निहित होंगे तथा प्रादेशिक मुख्यायुक्त का निर्णय अंतिम होगा।

3- उपरोक्त पुरस्कारो के अतिरिक्त अधिक प्रतिस्पर्धा होने की स्थिति सांत्वना पुरस्कार देने का निर्णय प्रादेशिक मुख्यायुक्त में निहित होगा।

=====XXX=====



# भारत स्काउट और गाइड, उत्तर प्रदेश

प्रादेशिक मुख्यालय : महानगर, लखनऊ

## सर्वोत्तम जनपद पुरस्कार योजना- प्रारूप

जनपद: .....

जनपद सम्बद्धता क्रमांक : .....

### बिंदु- 01 – यूनिट पंजीकरण

- जनपद में स्थित अशासकीय मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों की संख्या : .....
- जनपद में स्थित राजकीय विद्यालयों की संख्या : .....
- जनपद में स्थित अशासकीय महाविद्यालयों की संख्या : .....
- जनपद में स्थित राजकीय महाविद्यालयों की संख्या : .....
- जनपद में स्थित बेसिक विद्यालयों की संख्या : .....
- वित्तीय वर्ष से पूर्व जनपद में कुल पंजीकृत यूनिट्स की संख्या : .....

जनपद में वित्तीय वर्ष में नवीन पंजीकृत यूनिट्स की संख्या (बेसिक अनुदानित को छोड़कर) निम्नानुसार

कब	बुलबुल	स्काउट	गाइड	रोवर	रेंजर	कुल

✓ प्रादेशिक मुख्यालय द्वारा दिया गया लक्ष्य :

- 1 सी0बी0एस0ई0 विद्यालयों के लिए .....
  - 2 सी0बी0एस0ई0 विद्यालयों से जनपद के पृथक विद्यालयों के लिए.....
- ✓ जनपद द्वारा लक्ष्य के सापेक्ष प्राप्त उपलब्धि का प्रतिशत : 1 .....
- 2 .....

### बिन्दु- 02 – यूनिट नवीनीकरण (CBSE तथा Non-CBSE विद्यालयों को मिलाकर)

1. जनपद में वित्तीय वर्ष में नवीनीकृत यूनिट्स की संख्या (बेसिक अनुदानित को छोड़कर) :

विवरण	कब	बुलबुल	स्काउट	गाइड	रोवर	रेंजर	कुल
प्रादेशिक मुख्यालय द्वारा निर्गत जनगणना प्रपत्र के अनुसार यूनिट्स की संख्या							
प्रादेशिक मुख्यालय द्वारा निर्गत जनगणना प्रपत्र के सापेक्ष नवीनीकृत यूनिट्स की संख्या							

- ✓ प्रादेशिक मुख्यालय द्वारा दिया गया लक्ष्य : .....
- ✓ जनपद द्वारा लक्ष्य के सापेक्ष प्राप्त उपलब्धि का प्रतिशत : .....

### बिन्दु- 03 – 10 प्रतिशत अंशदान

1. वित्तीय वर्ष में 10 प्रतिशत अंशदान का विवरण

विवरण	धनराशि
प्रादेशिक मुख्यालय द्वारा निर्गत प्रपत्रके अनुसार 10% अंशदान की धनराशि	
प्रादेशिक मुख्यालय द्वारा निर्गत प्रपत्र के सापेक्ष जमा की गई धनराशि	

- ✓ प्रादेशिक मुख्यालय द्वारा दिया गया लक्ष्य : .....

✓ जनपद द्वारा लक्ष्य के सापेक्ष प्राप्त उपलब्धि का प्रतिशत :.....

**बिन्दु- 04- अवशेषों के वसूली की स्थिति :-**

- वित्तीय वर्ष में प्रादेशिक मुख्यालय द्वारा प्रेषित नवीनीकरण / सम्बद्धता शुल्क / अंशदान के अवशेषों की स्थिति

क्रम०सं०	विवरण	धनराशि	प्रतिशत
1	प्रादेशिक मुख्यालय द्वारा निर्गत प्रपत्रके अनुसार नवीनीकरण मद में कुल धनराशि		
	प्रादेशिक मुख्यालय द्वारा निर्गत प्रपत्र के सापेक्ष अनुसार नवीनीकरण मद में जमा की गई कुल धनराशि तथा प्रतिशत		
2	प्रादेशिक मुख्यालय द्वारा निर्गत प्रपत्रके अनुसार सम्बद्धता शुल्क में कुल धनराशि		
	प्रादेशिक मुख्यालय द्वारा निर्गत प्रपत्रके सापेक्ष सम्बद्धता शुल्क में जमा की गई कुल धनराशि तथा प्रतिशत		
3	प्रादेशिक मुख्यालय द्वारा निर्गत प्रपत्रके अनुसार 10% प्रतिशत मद में कुल धनराशि		
	प्रादेशिक मुख्यालय द्वारा निर्गत प्रपत्रके सापेक्ष 10% प्रतिशत मद में जमा की गई कुल धनराशि तथा प्रतिशत		
4	अवशेषों की कुल धनराशि		
5	कुल अवशेषों के सापेक्ष जमा धनराशि तथा प्रतिशत		

**बिन्दु- 5- बी0एड0 / डी0एल0एड0 महाविद्यालयों में प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन:**

जनपद में कुल बी०एड०/डी०एल० महाविद्यालयों तथा प्रतिभागियों की संख्या का लक्ष्य	जनपद में कुल आयोजित लक्ष्य के विपरीत बी०एड०/डी०एल० कोर्स तथा प्रतिभागियों की संख्या

**बिन्दु- 6 - वयस्क प्रशिक्षण:**

1. वयस्क प्रशिक्षण बिगनर्स कोर्स, बेसिक/एडवांस कोर्स, विशेषज्ञता कोर्स में प्रतिभागिता

- बिगनर्स कोर्स :-

कोर्स की संख्या	प्रतिभागी संख्या

- जनपद में आयोजित सभी विंग में बेसिक कोर्स के आयोजन पर प्रतिभागी संख्या :-

कब मास्टर	फ्लाक लीडर	स्काउट मास्टर	गाइड कैप्टन	रोवर लीडर	रेंजर लीडर

- जनपद में आयोजित सभी विंग में एडवान्स कोर्स के आयोजन पर प्रतिभागी संख्या :-

कब मास्टर	फ्लाक लीडर	स्काउट मास्टर	गाइड कैप्टन	रोवर लीडर	रेंजर लीडर

- विशेषज्ञता कोर्स :- जनपद में आयोजित कोई 06 विषयों पर विशेष कोर्स के आयोजन का विवरण

क्रम०सं०	कोर्स का नाम	कोर्स की संख्या	प्रतिभागी संख्या
1			
2			
3			
4			
5			

6			
---	--	--	--

**बिन्दु- 7 -एच०डब्लू०बी०/प्री ए०एल०टी०/ए०एल०टी०/एल०टी० :-**

- वित्तीय वर्ष में जनपद में तैयार एच०डब्लू०बी० धारक/ ट्रेनर्सकी संख्या

एच०डब्लू०बी०	प्री ए०एल०टी०	ए०एल०टी०	एल०टी०

**बिन्दु- 8 - वेबसाइट अपडेशन :-**

- जिला संस्था द्वारा वेबसाइट और आई०टी० सम्बंधित अपडेशन की जानकारी निम्नानुसार अंकित करें

OYMS पर नए पंजीकृत कुल यूनिट्स की संख्या तथा प्रतिशत लक्ष्य के प्रति	जनपद द्वारा कितने दलों कोUID उपलब्ध कराई गई	जनपद के वेबपेज के अपडेशन की स्थिति (हाँ या नहीं में अंकित करें) साक्ष्य संलग्न करें	जनपद द्वारा बी0एस0जी0 यू0पी0 सॉफ्टवेयर पर प्रशिक्षण एवं संगठन शिविरों की ऑनलाइन स्थिति

...5/

**बिन्दु- 9 - (गोल्डन एरो अवार्ड (कब/बुलबुल) राज्य पुरस्कार (स्काउट/गाइड, रोवर/रेंजर) :-**

- वित्तीय वर्ष में जनपद में उक्त जाँच शिविर में सफल कब बुलबुल/ स्काउट/गाइड, रोवर रेंजर की संख्या

कब	बुलबुल	स्काउट	गाइड	रोवर	रेंजर

**बिन्दु- 10 - तृतीय सोपान / निपुण में प्रतिभागिता :-**

- वित्तीय वर्ष में जनपद में उक्त जाँच शिविर में करने वाले स्काउट/गाइड, रोवर रेंजर की संख्या

तृतीय सोपान		निपुण	
स्काउट	गाइड	रोवर	रेंजर

**बिन्दु-11 - एडवेंचर कार्यक्रम में प्रतिभागिता :-**

वित्तीय वर्ष में जनपद द्वारा एडवेंचर कार्यक्रमों में प्रतिभागिता की स्थिति :-

(ए)-प्रादेशिक प्रशिक्षण केन्द्र शीतलाखेत -

क्र.सं.	क्रा्यक्रम/कैम्प का नाम	प्रतिभागी संख्या
1		
2		

(बी)-प्रादेशिक प्रशिक्षण केन्द्र प्रयागराज -

क्र.सं.	कार्यक्रम/कैम्प का नाम	प्रतिभागी संख्या
1		
2		

**बिन्दु-12 - राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम में प्रतिभागिता :-**

क्रम सं०	कार्यक्रम का नाम	प्रतिभागी संख्या

**बिन्दु-13-बी0एस0जी0 ज्ञान प्रतियोगिता**

लक्ष्य	बी० एस० जी० ज्ञान प्रतियोगिता में कुल पंजीकृत प्रतिभागी	बी० एस० जी० ज्ञान परीक्षा की तिथि	प्रादेशिक मुख्यालय को प्रेषित किये गये सूची की तिथि	मुख्यालय को प्रेषित धनराशि व तिथि

**बिन्दु-14 -सर्वोत्तम कैडेट रैली**

लक्ष्य	सर्वोत्तम कैडेट रैली प्रतियोगिता में कुल पंजीकृत प्रतिभागी	सर्वोत्तम कैडेट रैली प्रतियोगिता की तिथि	प्रादेशिक मुख्यालय को प्रेषित किये गये सूची की तिथि

**बिन्दु-15- जिला संस्था का वित्तीय प्रशासन :-**

- वित्तीय वर्ष में जिलासंस्था का वित्तीय प्रशासन हेतु निम्नानुसार अनुपालन की स्थिति : (हाँ या नहीं अंकित करें)

क्र० सं०	विवरण	हाँ या नहीं	अंतिम आडिट का वर्ष
1	जिला संस्था में नियमित आडिट हो रहा है		
2	वित्तीय वर्ष की जिला संस्था द्वारा प्रादेशिक मुख्यालय को अंतिम आडिट रिपोर्ट कराने की दिनांक		
3	जिला संस्था के खाते का नियमानुसार संचालन		
4	प्रादेशिक अंशदान का जिला संस्था द्वारा समय से भुगतान		

1. किन - किन अभिलेखों का रख- रखाव हो रहा है -

2. अभिलेख के Updation की स्थिति -

**बिन्दु-16- जिला कार्यकारिणी / जिला काउन्सिल / विभिन्न समितियों की बैठकें :-**

- वित्तीय वर्ष में जिला संस्था द्वारा आयोजित जिला कार्यकारिणी / जिला काउन्सिल / विभिन्न समितियों की बैठकों का विवरण

क्रम०सं०	नाम	बैठकों की संख्या	दिनांक	स्थान	प्रतिभागी संख्या	बैठक का कार्यवृत्त जारी दिनांक
1.	जिला कार्यकारिणी					
2.	जिला काउन्सिल					

क्रम० सं०	विवरण	हाँ या नहीं
1	जिला संस्था द्वारा जिला कार्यकारिणी एवं जिला काउन्सिल के सभी पदों पर नियमानुसार नियुक्ति (नियुक्ति की दिनांक भी अंकित करें)	
2	जिला संगठन /प्रशिक्षण आयुक्त (स्काउट/गाइड) सहायक जिला आयुक्त (स्काउट/गाइड) मुख्यालय आयुक्त (स्काउट/गाइड) के अधिकार पत्र निर्गत (निर्गत करने की दिनांक भी अंकित करें)	
3	जिला संस्था के अभिलेखों का नियमानुसार रखरखाव (अभिलेखों की सूची भी संलग्न करें)	
4	जिला संस्था का कार्यालय व्यवस्थित (फोटोग्राफ संलग्न करें)	

**बिन्दु-17- तेजल पत्रिका में जनपद की गतिविधियों का प्रकाशन -**

तेजल पत्रिका हेतु जनपद से प्रेषित की गई कुल रिपोर्ट	तेजल पत्रिका में प्रकाशित रिपोर्ट

=====XXX=====